न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
110 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	15.12.2015	12.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री कपूर चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रकाश चन्द दिनेश कुमार किराणा स्टोर पुराना बस स्टैण्ड के पास मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी कल्याण कॉलोनी रोडवेज बस स्टैण्ड के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.
2–मैसर्स प्रकाश चन्द दिनेश कुमार किराणा स्टोर पुराना बस स्टैण्ड के पास मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक
3–श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी श्रीमालों का मोहल्ला जिला टोंक राज.
4–मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक राज.
5–श्री महेश कुमार खण्डेलवाल नॉमिनी मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. प्लॉट नं. ई–760 रोड नं. 9 एफ–1, वीकेआई एरिया जयपुर राज.
6–मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. प्लॉट नं. ई–760 रोड नं. 9 एफ–1, वीकेआई एरिया जयपुर राज.

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 श्री प्रमोद कुमार शर्मा।

:–**निर्णय**–:

दिनांक 12.12.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.08.2015 को समय 05:30 पी.एम पर मैसर्स प्रकाश चन्द दिनेश कुमार किराणा स्टोर पुराना बस स्टैण्ड के पास मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहाँ पर श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री कपूर चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रकाश चन्द जैन ने स्वंय को मैसर्स प्रकाश चन्द दिनेश कुमार किराणा स्टोर पुराना बस स्टैण्ड के पास मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **रिफाइंड सोयाबीन**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तेल पिंकसिटी मूल पैक (Refined Soyabean Oil Pinkcity Origional Pack) 455 ग्राम की 15 प्लास्टिक बोतल मूल पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री प्रकाश चन्द जैन को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री प्रकाश चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल पिंकसिटी मूल पैक (Refined Soyabean Oil Pinkcity Origional Pack)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 455–455 ग्राम की 4 मूल पैक (कुल वनज 1820 ग्राम) खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल पिंकसिटी मूल पैक (Refined Soyabean Oil Pinkcity Origional Pack)** 455–455 ग्राम के 1–1 नग अलग–अलग चार प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर डिब्बों को एयरटाइट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1104 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1104 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री कपूर चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रकाश चन्द दिनेश कुमार किराणा स्टोर पुराना बस स्टैण्ड के पास मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक ने मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक राज. का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक राज. को फार्म नं. 5ए की सूचना, वारन्टी बिल व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. प्लॉट नं. ई–760 रोड नं. 9 एफ–1, वीकेआई एरिया जयपुर राज. का वारंटी बिल व अपनी फर्म के दस्तावेज पेश किए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 15 / 3534 दिनांक 02.10.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0 एस0 / 557 / एक्ट / 2015 / 557 दिनांक 03.09.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल पिंकसिटी मूल पैक (Refined Soyabean Oil Pinkcity Origional Pack) मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

निर्माता व पैकिंगकर्ता के साथ—साथ वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. प्लॉट नं. ई—760 रोड नं. 9 एफ—1, वीकेआई एरिया जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की। अतः आवेदक ने विकेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से उनके अभिभाषक श्री प्रमोद कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल पिंकसिटी मूल पैक (Refined Soyabean Oil Pinkcity Origional Pack)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल पिंकसिटी मूल पैक (Refined Soyabean Oil Pinkcity Origional Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री प्रकाश चन्द जैन पर शास्ति रूपये 10,000 / —(अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 श्री ओमप्रकाश जैन पर शास्ति रूपये 10,000 / —(अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 श्री महेश कुमार खण्डेलवाल पर शास्ति रूपये 20,000 / —(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0